मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 (30 अग्रहायण, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:04 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. शपथ / प्रतिज्ञान

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि जिन माननीय सदस्यों ने शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है, वे शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे. तदनुसार, आज एक माननीय सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण कर सदस्य नामावली में हस्ताक्षर किये गये.

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023) पटल पर रखा.

3. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्र में पारित .... विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई हैं, जिनके नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों को नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2023 (क्रमांक 12 सन् 2023)	अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2023
2.	मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 11 सन् 2023)	अधिनियम क्रमांक 19 सन् 2023
3.	मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023)	अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2023
4.	मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023)	अधिनियम क्रमांक 21 सन् 2023
5.	मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023)	अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2023

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय ने निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 126-छिन्दवाड़ा से निर्वाचित सदस्य, श्री कमल नाथ एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 127-परासिया से निर्वाचित सदस्य, श्री सोहनलाल बाल्मीक को विधान सभा के दिसम्बर, 2023 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

5. विशेष उल्लेख

एक माननीय सदस्य द्वारा जनसेवा योगदान हेतु वेतन भत्तों एवं पेंशन का समर्पण किया जाना

श्री चैतन्य कुमार काश्यप (रतलाम सिटी), सदस्य द्वारा अध्यक्ष महोदय के सर्वानुमति से निर्वाचन की बधाई देते हुए यह उल्लेख किया कि "राष्ट्रसेवा और जनहित मेरा ध्येय है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये मैं राजनीति में आया हूं. मैं किशोरावस्था से ही समाज सेवा के कार्यों में अग्रसर हूं तथा कई सेवा संस्थानों में प्रकल्पों का संचालन कर रहा हूं. ईश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं जन सेवा में थोड़ा सा योगदान कर सकूं. इसलिए मैंने विधायक के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन राशि नहीं लेने का निश्चय किया है. यह अनुरोध है कि मुझे प्राप्त होने वाली राशि का राजकोष से ही आहरण नहीं हो, ताकि उस का सदुपयोग प्रदेश के विकास एवं जनहित के कार्यों में हो सके.

6. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत, कृतज्ञता ज्ञापन के निम्नलिखित प्रस्ताव पर श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य ने प्रारम्भिक भाषण दिया :-

"राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं"

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर उनके पास 31 माननीय सदस्यों के संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त हुई है.

संशोधन बहुत विस्तृत स्वरूप के हैं, इसलिए पूरे संशोधनों को न पढ़कर केवल उनके प्रस्तावकों के नाम और संशोधन क्रमांक ही पढ़ूँगा. जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे उनके संशोधन प्रस्तुत हुए माने जायेंगे :-

क्रमांक	सदस्य का नाम	संशोधन क्रमांक
(1)	श्री अभय कुमार मिश्रा	2
(2)	श्री रजनीश हरवंश सिंह	3
(3)	श्री मोन्टू सोलंकी	4
(4)	श्री देवेन्द्र रामनारायण सखवार	5
(5)	श्री केशव देसाई	7
(6)	श्री सुरेश राजे	8
(7)	श्री राजन मण्डलोई	9
(8)	डॉ.हिरालाल अलावा	10
(9)	श्री दिनेश गुर्जर	11
(10)	श्री आरिफ मसूद	12
(11)	श्री संजय उइके	13
(12)	श्री कमलेश्वर डोडियार	15
(13)	श्री विवेक विक्की पटेल	16
(14)	श्री मधु भगत	17
(15)	श्री सुनील उइके	18
(16)	श्री चैनसिंह बरकड़े	19
(17)	श्री दिनेश जैन बोस	20
(18)	श्री महेश परमार	21
(19)	श्री नारायण सिंह पट्टा	22
(20)	श्री कैलाश कुशवाहा	23
(21)	श्री बाला बच्चन	24
(22)	श्री जयवर्द्धन सिंह	25
(23)	श्री रामनिवास रावत	26
(24)	श्रीमती झूमा डॉ.ध्यान सिंह सोलंकी	27
(25)	डॉ.रामकिशोर दोगने	28
(26)	श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर	29
(27)	श्री राजेन्द्र भारती	30
(28)	श्री आतिफ आरिफ अकील	31

7. अध्यक्षीय व्यवस्था

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर केवल उपस्थित सदस्यों के संशोधन ही प्रस्तुत मान्य किया जाना

श्री गोपाल भार्गव, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि पूर्व में सदन में परंपरा यह थी कि जो संशोधन दिए जाते थे, उस पर हाथ उठाकर सदस्य अपनी उपस्थिति जताते थे. विपक्ष के केवल एक ही सदस्य ने ही संशोधन प्रस्तुत हेतु हाथ उठाया है, शेष जिन सदस्यों ने हाथ नहीं उठाया है. उनके संशोधन अमान्य किए जाने चाहिए.

सर्वश्री राम निवास रावत, बाला बच्चन, सदस्यगण ने आसंदी के माध्यम से सदन का ध्यानाकर्षित किया कि उन्होंने तो माननीय हाथ उठाया है. माननीय सदस्य ने जो बात कही है हम सब इससे सहमत हैं. इसका पालन किया जाना चाहिए. किन्तु आसंदी से ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं आई. इसलिए उपस्थित होते हुए भी हमने हाथ नहीं उठाया.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि - जो सदस्य सदन में उपस्थित हैं कृपया वे हाथ उठायें. संशोधनों से संबंधित, सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों द्वारा हाथ उठाये गए.

उपस्थित सदस्यों के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत माने गए.

8. अध्यक्षीय घोषणा

भोजनावकाश न होने विषयक

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि आज भोजन अवकाश नहीं होगा. माननीय सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सुविधा अनुसार जाकर भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

9. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

तत्पश्चात् कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया:-

(2) श्री रामनिवास रावत
(3) श्री प्रहलाद सिंह पटैल

सभापति महोदय (श्री अजय विश्नोई) पाठासीन हुए.

(4) श्री बाला बच्चन
(5) श्री गोपाल भार्गव
(6) श्री फूलसिंह बरैया
(7) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(8) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(9) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

(10) श्री जयवर्धन सिंह
(11) श्री अभय कुमार मिश्रा
(12) श्री आरिफ मसूद
(13) श्री लखन घनघोरिया
(14) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यान सिंह सोलंकी
(15) श्री उमाकांत शर्मा
(16) श्री कमलेश्वर डोडियार
(17) श्री महेश परमार
(18) श्री फुंदेलाल सिंह मार्को
(19) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी
(20) श्री दिनेश गुर्जर

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के भाषण के पश्चात्

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(संशोधनों पर मत लिया गया)

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए.
कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

10. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर निम्नानुसार उद्‌गार व्यक्त किए गए –

"मध्यप्रदेश की नवगठित षोडष विधान सभा का प्रथम सत्र अब समाप्ति की ओर है. इस सत्र में 4 बैठकें हुई. जिसमें नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की एवं अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ तथा मुख्य प्रतिपक्षी दल और नेता प्रतिपक्ष की घोषणा की गई. संविधान की अपेक्षा अनुसार इस सत्र में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ एवं कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा हुई.

अध्यक्ष के रूप में मेरा यह प्रथम सत्र था जिसमें मैंने आप सभी की अपेक्षा अनुरूप सदन के संचालन का प्रयत्न किया एवं सभी को अपनी बात रखने का यथासंभव अवसर दिया.

यह पवित्र सदन प्रजातंत्र का मंदिर है, जिसमें प्रदेश की जनता का विश्वास और आशाएं पल्लवित होती है. इस मंदिर में जन कल्याण की धाराएं निकले और जन-जन तक पहुंचें, हम सब इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ आए है, चाहे हम किसी भी दल से हो. इस लक्ष्य की प्राप्ति और पूर्ति के लिए पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को पूरक बन कर एवं सहिष्णुता और सामंजस्य के साथ अपने-अपने कर्तव्यों एवं भूमिका का निर्वाह करना होगा. दलों में वैचारिक भिन्नता होना स्वाभाविक है लेकिन इसमें मनभेद, कटुता और असहिष्णुता का कोई स्थान नहीं है. संसदीय लोकतंत्र भी तभी जीवंत होता दिखाई देता है जब विधायिका में पक्ष-विपक्ष अपने दायित्वों का निर्वहन अपने-अपने तरीके से करते दिखाई देते हैं. यह बात हमे आश्वस्त करती है कि इस संसदीय व्यवस्था से अन्य कोई बेहतर प्रणाली नहीं है क्योंकि इसके माध्यम से समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की भी चिंता की जाती है.

लोकतांत्रिक व्यवस्था का सार यही है कि विधायी सदनों में जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं को उनके प्रतिनिधि पूरी सजगता और मुखरता से उठायें. हम इस बात पर भी गर्व कर सकते हैं कि मध्यप्रदेश विधान सभा की गौरवशाली परम्पराएं रहीं है जिन्हें इसके पूर्ववर्ती सदस्यों ने अपने कार्य-व्यवहार से और समृद्ध किया है.

षोडष विधान सभा में 69 माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं. उन्हें प्रारंभ में वहां का माहौल एवं कार्यप्रणाली सर्वथा नई लगेगी किंतु वे संसदीय पुस्तकों के अध्ययन एवं वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन से अपनी शंकायें और परेशानियां दूर कर सकते हैं. विधान सभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी भी आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते है. आप उनकी भी मदद ले सकते हैं. नवनिर्वाचित सदस्यों के निक्षण-प्रशिक्षण के लिए शीघ्र ही प्रबोधन कार्यक्रम भी आयोजित होगा.

इस लघु सत्र के सुचारु संचालन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री द्वय, माननीय नेता प्रतिपक्ष, सभापति तालिका सहित सभी माननीय सदस्यों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े महानुभावों, प्रमुख सचिव विधान सभा, विधान सभा सचिवालय तथा शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को धन्यवाद देता हूं.

मैं अपनी और पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को क्रिसमस और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनकी और प्रदेश की समृद्धि तथा खुशहाली की कामना करता हूँ. अगले सत्र में हम सब पुनः समवेत होगे, धन्यवाद".

डॉ. मोहन यादव, सदन के नेता (माननीय मुख्यमंत्री) एवं श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी सत्र समापन अवसर पर उद्गार व्यक्त किए गए.

11. राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूहगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूहगान किया गया.

12. विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना : घोषणा

अपराह्न 4.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 21 दिसम्बर, 2023